फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री राज प्रकाश
निवासी राजेन्द्र नगर,
वार्ड नं. 22 जालोर
जिला जालोर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 42 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में सिरोही जिले में वैध आतिशबाजी(विस्फोटक) लाईसेंसों की कुल संख्या तथा लाईसेंस धारकों की सूचि जिसमें लाईसेंस धारक का नाम, अधिकार पत्र संख्या, भण्डारण या दुकान का पता / स्थान, लाईसेंस वैधता अवधि तथा जनवरी 2022 से फरवरी 2026 तक जारी किए गए स्थाई आतिशबाजी लाईसेंसों का वर्षवार विवरण तथा उक्त अवधि के दौरान नवीनीकृत किए गए तथा रद्द या निलम्बित किए गए स्थायी आतिशबाजी लाईसेंस का विवरण से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 / – जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 22.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में सिरोही जिले में वैध आतिशबाजी(विस्फोटक) लाईसेंसों की कुल संख्या तथा लाईसेंस धारकों की सूचि जिसमें लाईसेंस धारक का नाम, अधिकार पत्र संख्या, भण्डारण या दुकान का पता / स्थान, लाईसेंस वैधता अवधि तथा जनवरी 2022 से फरवरी 2026 तक जारी किए गए स्थाई आतिशबाजी लाईसेंसों का वर्षवार विवरण तथा उक्त अवधि के दौरान नवीनीकृत किए गए तथा रद्द या निलम्बित किए गए स्थायी आतिशबाजी लाईसेंस का विवरण से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / लो.सु.अ. / रेकर्ड / 2026 / 119 दिनांक 16.03.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के स्तर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	